न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–6, अयोध्या।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–83/2024

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या–1199/2024

C.N.R. No. UPFZ010049212024

सच्चिदानन्द सिंह **बनाम** **उत्तर प्रदेश सरकार**

.....

दिनाँकः–10.07.2026:–

निस्तारण प्रार्थना पत्र 5 अ

पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 5 अ अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर आदेश हेतु नियत है।

1. आवेदक सच्चिदानन्द सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र 5 ब अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता हार्ट पेशेन्ट है जिसका दवा इलाज एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ व मंगलम हॉस्पिटल एवं हार्ट सेन्टर नाका जनौरा, फैजाबाद से होता है व निगरानीकर्ता काफी समय से बेड पर है, जरिए अधिवक्ता अपने परिवाद की पैरवी करता था जिस कारण परिवाद निरस्त होने की जानकारी देर में प्राप्त हुयी। प्रार्थी/निगरानीकर्ता को उपरोक्त आदेश की जानकारी होने के बाद दिनांक 23.07.2024 को विद्वान अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 19.12.2023 की जरिए अधिवक्ता नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थी/निगरानीकर्ता ने अधिवक्ता को विद्वान अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 19.12.2023 की नकल दिनांक 26.07.2024 को प्राप्त हुयी किन्तु प्रार्थी/निगरानीकर्ता के अधिवक्ता अस्वस्थता के कारण कुछ देरी हुयी जो भारतीय मियाद अधिनियम की धारा–5 का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता बिना किसी देरी के आज दिनांक 21.08.2024 को निगरानी दाखिल कर रहा है। अतः प्रार्थी को भारतीय मियाद अधिनियम की धारा–5 का लाभ देते हुए उसकी निगरानी अन्दर मियाद मानकर निगरानी का निस्तारण गुणदोष के आधार पर करने की प्रार्थना की गयी।

2. विपक्षी उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध किया गया है।

3. पत्रावली व मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय द्वारा परिवाद संख्या–387/2022, अंतर्गत धारा–138 एन.आई. एक्ट, थाना खण्डासा, जिला अयोध्या के मामले में पारित आक्षेपित आदेश दिनाँकित 19.12.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवादी का परिवाद धारा–203 दं.प्र.सं. में निरस्त किया गया है। दाखिल उक्त दाण्डिक निगरानी पर सदर मुंसरिम की आख्या के अनुसार उक्त दाण्डिक निगरानी 157 दिन

Digitally signed by Deepika Tiwari
Date: 2026.07.10 16:40:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विलम्ब से दाखिल की गयी है। विलम्ब को माफ करने के संबंध में प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी मामले का निस्तारण उसके गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि तकनीकी आधारों पर। विधिक दृष्टान्त **"Improvement Trust, Ludhiyana Vs. Ujagar Singh and others, 2010(111) RD 89, Supreme Court"** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि,

"While considering the application for condonation of delay no straight jacket formula is prescribed to come to the conclusion if sufficient and good grounds have been made out or not. Each case has to be weighed from its facts and the circumstances in which the party acts and behaves."

विधिक दृष्टान्त **"Poonam and others Vs. Harish Kumar and others, 2012(115) RD 840 Supreme Court"** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि, "The High Court should have, before passing the impugned judgment, considered the explanation for the delay along with the facts of the case, the position of the parties, the nature of the litigation and the period of delay."

विधिक दृष्टान्त **"Kanhaiya Lal Vs. Lal Ram and others, 2020 (1) CAR 577 (All)"** में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने यह मत व्यक्त किया है कि–

"There is authority which holds that while considering the application for delay condonation, the courts should adopt a liberal approach and eschew a pedantic approach. The purpose of laws of limitation is to ensure that the parties may remain vigilant to their cause and institute their claim in good time. The mandate of laws of limitation is not to shut the doors of justice to the parties or decline adjudication on merits. On the contrary it should be the constant endeavour the courts of law to adjudicate issues on merits and dispense justice on a substantive basis."

5. उक्त दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत करने में 157 दिन का विलम्ब होना प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा कहा गया है जिसके संबंध में प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा यह बताया गया है कि वह हार्ट पेशेन्ट होने के कारण बेडरेस्ट पर था जिसके कारण उसे आक्षेपित आदेश की जानकारी विलम्ब से हुयी। उसके द्वारा दिनाँक 23.07.2024 को प्रश्नगत आदेश की सत्यापित प्रति हेतु आवेदन किया गया जो दिनाँक 26.07.2024 को तैयार होकर दिनाँक 30.07.2024 को निगरानीकर्ता द्वारा प्राप्त की गयी जिसके बाद अविलम्ब प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल की गयी। यहाँ यह सन्दर्भित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को नरम रुख अपनाना चाहिए। प्रार्थी/निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र के तथ्य शपथ पत्र से समर्थित हैं। प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा मियाद प्रार्थनापत्र में विलम्ब का

यथोचित कारण दर्शित किया गया है। अतः मामले के गुण अवगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में प्रार्थी/निगरानीकर्ता के हित को ध्यान में रखते हुये प्रार्थनापत्र 5 अ स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र 5 अ अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का मर्षण किया जाता है। तदनुसार दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–83/2024 निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली दाण्डिक निगरानी के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, अयोध्या के न्यायालय को प्रेषित हो। पक्षकार दाण्डिक निगरानी के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु **दिनाँक 17.07.2026** को माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

दिनाँकः 10.07.2026

(दीपिका तिवारी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6, अयोध्या।
जे.ओ. कोडः– यू०पी० 2719